दिनांक 6.08.2016 को अपरान्ह् में जनपद प्रतापगढ़ के थाना महेशगंज प्रतापगढ़ में आयोजित "समाधान दिवस" के किये गये औचक निरीक्षण की अभिलिखित टिप्पणी ।

द्वारा : जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–3, दिनांक 14.06.2014 जन समस्याओं के निस्तारण हेतु समाधान दिवस के क्रम में आज दिनांक 6.08.2016 को अपरान्ह् में जनपद प्रतापगढ़ के थाना महेशगंज में आयोजित समाधान दिवस का पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के साथ संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री एम0पी0 वर्मा पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़, श्री जय प्रकाश उपाध्याय थानाध्यक्ष महेशगंज, श्री वीरपाल सिंह नायब तहसीलदार कुण्डा, प्रतापगढ़ उपस्थित रहे।

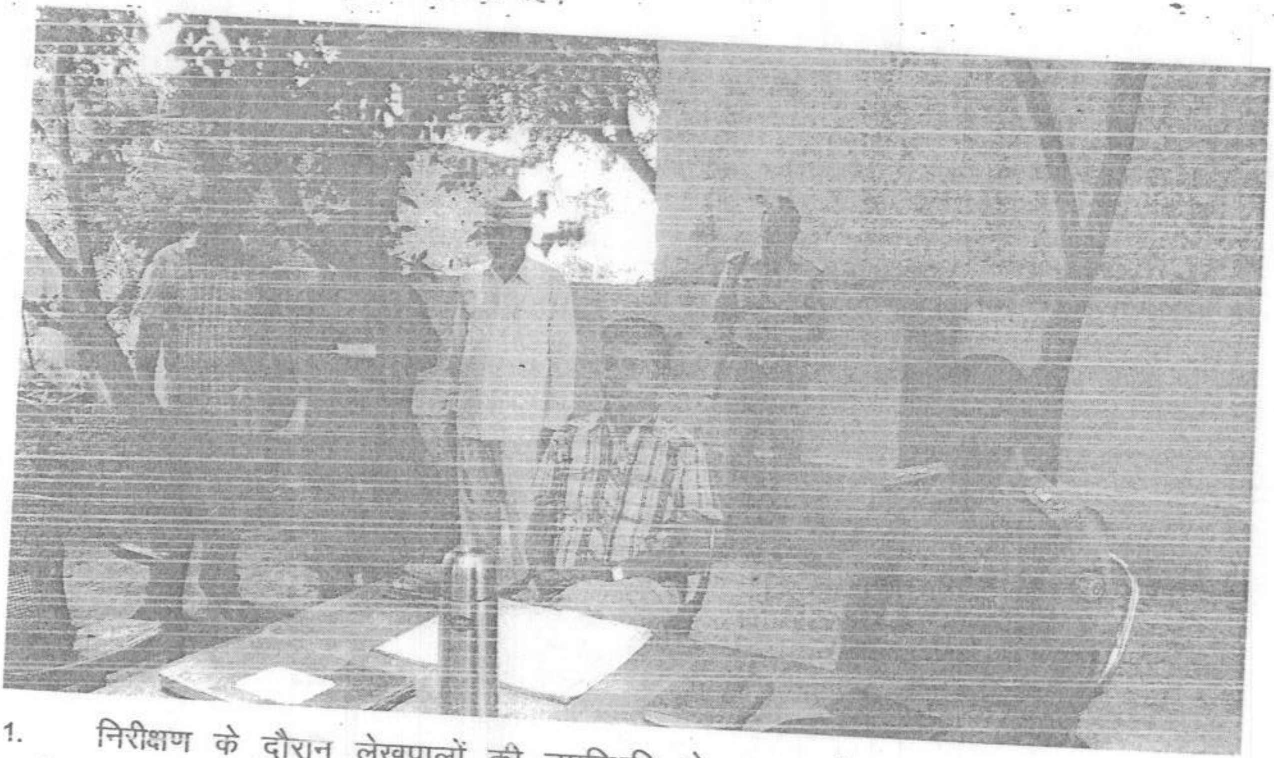

1. निरीक्षण के दौरान लेखपालों की उपस्थिति के सम्बन्ध में पूँछतांछ करने पर मौके पर उपस्थित श्री वीरपाल सिंह नायब तहसीलदार कुण्डा द्वारा अवगत कराया गया कि श्री मनोज कुमार मिश्र लेखपाल क्षेत्र पुरमई सुल्तानपुर, तहसील लालगंज बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित हैं। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। अतएव श्री मनोज कुमार मिश्र लेखपाल क्षेत्र पुरमई सुल्तानपुर, तहसील लालगंज के आज दिनांक 6.08.2016 के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेश रोक लगाते हुए उप जिलाधिकारी लालगंज को निर्देशित किया जाता है कि उक्त लेखपाल का स्पष्टीकरण प्राप्त कर तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

2. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि थाना क्षेत्रान्तर्गत समाधान दिवस में आने वाले लेखपालों की उपस्थित का विवरण एक सादे रजिस्टर पर कराया गया है, जिसमें लेखपालों द्वारा स्वयं अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर किया गया था, उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा गत माह में सम्पन्न थाना कोतवाली नगर एवं थाना कंधई में सम्पन्न समाधान दिवस के दौरान समस्त उप जिलाधिकारियों/थानाध्यक्षों को 06 विन्दुओं की पेशानी पर रजिस्टर तैयार कर उनकी उपस्थिति

सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु खेद का विषय है कि उक्त महत्वपूर्ण निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके कारण हल्कावार लेखपालों की मौके पर उपस्थिति नहीं ली जा सकी। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी कुण्डा/लालगंज को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें तथा भविष्य में आयोजित होने वाले समाधान दिवसों पर उपरोक्त प्रारूप पर रजिस्टर तैयार कर लेखपालों की उपस्थिति सुनिश्चित करायें।

क0	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक/लेखपाल का नाम	आवंटित क्षेत्र का नाम	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

3. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गत में आयोजित समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतें अत्यन्त ही कम है और आज पूर्वान्ह् 12.00–1.30 बजे के अन्तराल में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष मात्र 03 शिकायतकर्ता उपस्थित हुए। इससे स्पष्ट है कि समाधान दिवस का पर्याप्त प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में समस्त उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी/तहसीलदार एवं थानाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम का अपने–अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करायें जिससे समाधान दिवस के दिन भूमि विवाद से सम्बन्धित अधिक से अधिक शिकायतें प्राप्त हों और उनका राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण कराकर तत्काल समाधान हो सके।

4. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि समाधान दिवस से सम्बन्धित रजिस्टर को अद्यावधिक पेशानी पर नहीं बनाया गया है जिसमें किस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी का विवरण अंकित नहीं किया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष को निर्देशित रजिस्टर का तत्काल नियत पेशानी पर तैयार कराकर अद्यावधिक कराना सुनिश्चित करें।

5. निरीक्षण के दौरान अपराध रजिस्टर के अवलोकनोपरांत पाया गया कि मुकदमा अपराध संख्या : 67, 137 एस0सी0/एस0टी0 वर्ष 2016 एवं मुकदमा अपराध संख्या : 84 वर्ष 2016 विद्युत तार चोरी के प्रकरण क्षेत्राधिकारी सदर स्तर पर विवेचना हेतु लम्बित हैं। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी सदर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरणों का स्वयं परीक्षण कर 15 दिवस के भीतर नियमानुसार निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

6. निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित लेखपालों से पूँछतांछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में उनकी सम्बन्धित ग्रामों में सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्याओं के प्राप्त प्रार्थना–पत्र एवं उनके निस्तारण से सम्बन्धित रजिस्टर नहीं बनाया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी कुण्डा को निर्देशित किया जाता है कि स्वयं के पर्यवेक्षण में उक्त रजिस्टर निर्मित कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

7. निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित अधिकांश लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक बिना पूर्ण अभिलेखों/रजिस्टरों के साथ उपस्थित रहें इससे स्पष्ट है कि उक्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राजस्व कर्मियों द्वारा पर्याप्त रुचि नहीं ली जा रही है। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी कुण्डा/लालगंज

———3

को निर्देशित किया जाता है कि आज समाधान दिवस के दौरान मौके पर उपस्थित राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। साथ ही समस्त उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से समस्त राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों को निर्देशित करें कि भविष्य में आयोजित होने वाले समाधान दिवस के दौरान अपने-अपने बस्तें एवं उसमें रखे जाने वाले समस्त अभिलेख/रजिस्टर अद्यावधिक स्थिति में रखें।

8. निरीक्षण के दौरान आई0जी0आर0एस0 में प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण के सम्बन्ध में पूँछतांछ करने पर मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया किं इस थाने में नियमित रूप से नेट न चलने के कारण शिकायतों को अद्यावधिक नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल निमयानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए समस्त शिकायतों का नियत समयावधि के भीतर निस्तारित कराना सुनिश्चित करें।

9. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में काफी संख्या में लावारिस 02 एवं 04 पहिया वाहन खड़े हैं। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि उक्त लावारिस एवं निष्प्रयोज्य वाहनों के निस्तारण हेतु तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। साथ ही पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

(10)

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

संख्या : 200/शिविर-2016

दिनांक : अगस्त 06, 2016

1. आयुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिरीक्षक महोदय, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद।
3. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
4. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।
5. अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी/पश्चिमी), प्रतापगढ़।
6. उप जिलाधिकारी कुण्डा, लालगंज/क्षेत्राधिकारी सदर, प्रतापगढ़।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़।
8. थानाध्यक्ष महेशगंज, प्रतापगढ़
9. अन्य समस्त सम्बन्धित।

जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।